न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला-रायसेन

प्र.क्र. 18/अ-2/2002-2003 दिनांक 21.10.2002

//विज्ञप्ति//

एतद् द्वारा सर्व साधारण को [illegible] के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदक चौहान [illegible] सोसायटी पंजीयन क्रमांक 665/91 अध्यक्ष श्री संदीप चौहान आ. श्री [illegible] चौहान एवं [illegible] चौहान आ. श्री [illegible] चौहान द्वारा ग्राम [illegible] प.ह.न. 8 की [illegible] भोपाल द्वारा [illegible] में से 10000 वर्गफुट भूमि ख.न. 220/2/1/2/1/1 रकबा 0.52 हेक्टेयर [illegible] हेतु व्यपवर्तन किये जाने की पर संस्था [illegible] की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त व्यपवर्तन [illegible] में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 21.11.2002 को या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद प्राप्त आपत्ति ग्राह्य होगी।

आज दिनांक 21.10.2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
गौहरगंज

प्रतिलिपिः-

1- [illegible] अनुविभागीय की ओर नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2- [illegible] की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विज्ञप्ति की सूचना [illegible] प्रकाशित करायें, साथ ही [illegible] दिनांक 21.11.02 के पूर्व इस न्यायालय को भेजें।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
गौहरगंज

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज

O/C

688/16
TRUE COPY
10.2.16
Head Copiest
Collectorate, Raisen

न्यायालय अनु.वि.अ. गौहरगंज के प्र.क्र. 18/अ-2/ वर्ष 2002-03 में संलग्न पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति।

Rs.10 INDIA RUPEES
CANCELLED

(2) ... पंचायत उ० गम्र का शाह (दि० 5/11/02 को)

(3) प्रति अध्यक्ष वार्ड ... को।

गवाह के हस्ताक्षर

डी० कालूराम तलवानी

गवाह

डी० नन्हेलाल

प्रमाणित

पदेन उ० पंचायत - ... उ० गंज

आमा कीर्ति (रि० पो०) के आदेश अनुसार प्रमाणित किया है

महाजनी ...

मूल्य

...

688/16
TRUE COPY
10-2-16
Head Copiest
Collectorate, Raisen

47/48

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला-रायसेन

—0—

प्र.क्र. 8/अ-2/2002-2003

1-श्री संदीप चौहान आ0 श्री रामपालसिंह चौहान अध्यक्ष चौहान एजुकेशन सोसायटी पंजीयन क्रमांक 665/91 निवासी भोपाल

2-श्री सै.साजिद अली आ. सै.साहेब अली सचिव, चौहान एजुकेशन सोसायटी पंजीयन क्रमांक 665/91 निवासी भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ...अनावेदक

// आदेश पारित दिनांक 23.12.04 //

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री संदीप चौहान आ0 श्री रामपालसिंह चौहान अध्यक्ष, एवं सै. साजिद अली आ0 सै.साहेब अली सचिव, चौहान एजुकेशन सोसायटी पंजीयन क्रमांक 665/91 निवासी भोपाल द्वारा कस्बा औबेदुल्लागंज प.ह.न. 8 तहसील गौहरगंज स्थित भूमि ख.न. 220/2/1/2/1/1 रकबा 0.52 हैक्टेयर में से 10000 वर्गफुट का व्यपवर्तन शैक्षणिक नियोजन { व्यवसायिक प्रयोजन } हेतु किये जाने बाबत् आवेदन सहपत्रों सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

2- प्रकरण पंजीकृत किया जाकर उद्घोषणा-पत्र प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गई । कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । इस व्यपवर्तन के संबंध में राजस्व निरीक्षक डायवर्सन जांच मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विदिशा चाहा से अभिमत लिया गया । सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विदिशा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 850/06/1 /31 2002 दिनांक 17.12.2002 द्वारा उल्लेखित शर्तों पर { जिनका विवरण आगे दिया जा रहा है } सहमति व्यक्त की गई है ।

3/- राजस्व निरीक्षक डायवर्सन द्वारा दिनांक 1.12.2002 को प्रतिवेदन पंचनामे सहित प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की भूमि नगर [illegible] औबेदुल्लागंज तहसील गौहरगंज के अन्तर्गत आती है । यह भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई तथा रेल्वे लाइन से दूर है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के अनुसार स्वीकृत मानदर एवं राजस्व परिपत्र दिनांक 24.1.2000 के अनुसार आवेदित रकबा 10000 वर्गफिट पर रुपये 210-00 प्रभाजक एवं रुपये 2709-00 प्रीमियम निर्धारित किया जाना प्रस्तावित किया गया है [illegible] राशि राजस्व नहीं

688/16

TRUE COPY

अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज

10.2.16

Collector, Raisen

150

प्राकृतिक वसूली योग्य होना प्रतिवेदित किया गया है ।

2002-2003 से एक मुश्त वसूली योग्य होना प्रतिवेदित किया गया है ।

4/- प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख से यह निर्विवाद स्पष्ट है कि आवेदक एक पंजीकृत संस्था एवं आवेदित भूमि का भूमि स्वामी है । आवेदित व्यपवर्तन में नगर एवं ग्राम निवेश विदिशा तथा ग्राम पंचायत की कोई आपत्ति नही है तथा उद्घोषणा के प्रकाशन उपरांत इस न्यायालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

अतः म0प्र0भू0रा0 सं. 1959 की धारा 172(3) के अधीन कस्बा औबेदुल्लागंज प. ह. नं. 8 तहसील गौहरगंज की भूमि ख. नं. 220/2/1/2/1/1 रकबा 0.52 डेसी मल में से 1200 वर्गफुट का व्यपवर्तन व्यवसायिक प्रयोजन(शैक्षणिक नियोजन) हेतु स्वीकृत किया जाकर वर्ष 2002-2003 से रूपये 210-00 (दो सौ दस मात्र) भू-भाटक तथा रूपये 2789-00 (दो हजार सात सौ नौवासी मात्र) प्रीमियम निर्धारित किया जाता है । यह राशि एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा । उक्त व्यपवर्तन निम्न शर्तों के अधीन प्रदाय की जा रही है:-

1-वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग-69 के मध्य से 110'.00" फिट भूमि मार्ग विस्तार के लिये छोड़ने के पश्चात् भूमि का व्यपवर्तन किया जावे ।

2-आस-पास की सीमाओं को समायोजित कर नियोजन मानचित्र तैयार कर विकास/निर्माण के पूर्व अभिमत/अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय विदिशा से प्राप्त की जावे ।

3-राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रश्नाधीन स्थल तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई 30'.00" रखी जाकर इसका विकास संस्था द्वारा स्वयं के व्यय से किया जावे ।

4-भवन निर्माण के पूर्व अनुमति विधिवत् नगर पंचायत औबेदुल्लागंज से प्राप्त की जावे ।

5-भू-स्वामित्व -पहुंचमार्ग एवं अन्य किसी प्रकार का विवाद होने और उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर यह व्यपवर्तन निरस्त माना जावेगा । साथ ही शैक्षणिक विभाग व अन्य संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित शर्तों/नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । निर्माण कार्य में अतिक्रमण न किया जावे तथा प्रदूषण एवं जनहित को भी दृष्टिगत रखा जावे ।

आदेश खुले न्यायालय में उद्घोषित ।

अनुविभागीय अधिकारी

गौहरगंज

688/16

TRUE COPY

10.2.16

Head Copist

Collectorate, Raisen

पुस्तक को समक्ष में

बोलकर टाइप कराया

गया ।

अनुविभागीय अधिकारी

गौहरगंज

688/16

1) Application received on........................

2) Applicant told to appear on. 10-2-2016

3) Applicant appeared on.......... 15-2-2016

4) Application (with or without further or correct particulars) sent to record room on ....

5) Application received from record room with record or without record for further [illegible]

6) [illegible] further [illegible] particulars [illegible]

7) Applicant [illegible]

8) Notice in column 6 or 7 complied with on........................

9) Copy ready on... 10-2-2016

10) Copy delivered or sent on. 10-2-2016

11) [illegible] fees [illegible] 60-00

[illegible] 10.2.16

[illegible] [illegible] [illegible]